न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 28/2019

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री नरेन्द्र सिंधी पुत्र श्री पारूमल सिंधी, मेसर्स नरेन्द्र किराना एण्ड जनरल स्टोर, कृषि मण्डी रोड़, प्रतापगढ़

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 07/01/2020

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्डेड चाय (अजय गोल्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र , फर्म पंजीयन के सम्बन्ध में वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र , फर्म के सम्बन्ध में वार्षिक रिटर्न मय ट्रेडिंग अकाउण्ट/ ऑडिट रिपोर्ट की सूचना चाहने बाबत वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र । विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.07.2019 को दौराने गश्त 3.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 नरेन्द्र किराना एण्ड जनरल स्टोर, कृषि मण्डी रोड़, प्रतापगढ़ पहुंचा, अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। उस समय दूकान पर श्री नरेन्द्र सिंधी पुत्र श्री पारूमल सिंधी उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां पर चाय (अजय गोल्ड) 500 ग्राम के 40 सील्ड पॉलिपेकेट आमजनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इन चाय के पॉलिपेकेटों में गुणवत्ता में कमी/ मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 40 सील्ड पॉलिपेकेट में से 4 सील्ड पॉलिपकेट चाय (अजय गोल्ड) 500 ग्राम वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 360/–रू विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि खाद्व सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा 2 किलोग्राम चाय (अजय गोल्ड) 500 ग्राम को एक एक कर गत्ते के डिब्बों में डालकर उन डिब्बों को बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकिट पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड क्रमांक वाई 1066 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 1066 नियमानुसार चारों नमूना पेकिट पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को श्री माजीद अली, च.श्रे.क. के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को श्री माजीद अली, च.श्रे.क. के द्वारा जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूनके का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेद खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार उनके द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ चाय (अजय गोल्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी प्रतापगढ़ के समक्ष दिनांक 28.11.2019 को प्रस्तुत की जिस पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री नरेन्द्र सिंधी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थीगण अभियुक्तों स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में बताया खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस समय खय का नमूना लिया गया था उस समय उसके पास 16 पैकेट चाय ही थी। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि चाय उसके द्वारा निर्मित नही की जाती है वह चाय को अन्य जगह से क्रय कर अपनी दूकान पर विक्रय करता है। प्रार्थी एक छोटा दूकानदार है। किराने के व्यवसाय में मार्जिन बहुत ही कम होता है। अतः प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना कर प्रकरण की कार्यवाही निरस्त कराने का निवेदन किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी 16 पैकेट में से नमूना लिये जाने की बात दर्शायी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत दिनांक 30.07.19 को उपलब्ध कुल माल 16 पैकेट प्रत्येक पैकेट की कीमत 90 रू) के हिसाब से कुल राशि 1440 की पांच गुना शास्ति 7200 रू **(अक्षरे सात हजार दो सो रूपये मात्र)** अप्रार्थी पर आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **07.01.2020** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2020/ दिनांक 07.01.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री नरेन्द्र सिंधी पुत्र श्री पारूमल सिंधी मेसर्स नरेन्द्र किराना एण्ड जनरल स्टोर, कृषि मण्डी रोड़, प्रतापगढ़

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़